नियमों को दरकिनार कर नौकरी कर रहा, अधिकारी बोले जाएं कोर्ट

सिवनी नवभारत। जिले में अवैध तरीके से सरकारी नौकरी करने के कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। इन नौकरियों के मामले में बिना ऊपरी अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। दरअसल दोषी पाए जाने पर कर्मचारी ऊपरी अधिकारियों से आवेदन निवेदन कर किसी भी तरह से अपनी नौकरी बचा लेने में कामयाब हो जाते हैं।

ऐसा ही एक ताजा मामला कुरई क्षेत्र में सामने आया है। आजाक विभाग में संविदा शाला शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति लगातार नौकरी कर रहा है। उसकी शिकायत अनेक बार मय प्रमाण के अधिकारियों को की जा चुकी है लेकिन अधिकारी नियमानुसार उसे नौकरी से पृथक करने के बजाए महज एक दो वेतनवृद्धि रोककर

सिर्फ वेतन वृद्धि रोककर विभाग ने की इतिश्री

अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी के हौसले बुलंद हैं। विभाग और शासन प्रशासन की छवि इससे धूमिल हो रही है लेकिन अधिकारी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते। जबकि जरूरी यह है कि दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिससे दूसरों को इससे सबक मिले।

क्या है मामला

बालाघाट जिले के कोडबी तहसील तिरोड़ी के रहने वाले राजेंद्र हाथझाड़े ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके गांव के ही रहने वाले जितेंद्र गजभिए ने 2011-12 में संविदा शाला शिक्षक की परीक्षा दी और उसकी नियुक्ति जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सिल्लारी तहसील कुरई में हो गई है। यहां उल्लेखनीय यह है कि जिस परीक्षा के जरिए जितेंद्र का चयन हुआ है वह ही गलत है। संविदा

शाला शिक्षक वर्ग तीन की नियुक्ति की शर्तों का उनके द्वारा उल्लंघन खुले तौर पर किया गया है। इस मामले में प्रार्थी द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी जरूरी कार्रवाई नहीं की गई है।

यह है अनियमितताएं

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन और संविदा शर्तें) नियम 2005 के अनुक्रम में जितेंद्र ने यह पद प्राप्त किया है। जबकि मप्र शासन के द्वारा जारी राजपत्र 10.03.2000 एवं क्रमांक 134 के अनुसार जिस भी व्यक्ति कि दो से अधिक जीवित संतान हैं जिसमें एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जितेंद्र ने अपनी तीन संतानों की जानकारी छिपाते हुए शासकीय सेवा प्राप्त की है। उनके द्वारा सिर्फ दो बच्चों की जानकारी दी गई। जितेंद्र की पहली संतान 20 जनवरी 2001, दूसरी संतान 17 अगस्त 2002 और तीसरी संतान चार जुलाई 2004 को हुई है। जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत में समग्र परिवार कार्ड में दर्ज है।

चयनित होने पर छिपाई जानकारी

आवेदक का कहना है कि जितेंद्र ने परीक्षा में चयन होने पर तीसरी संतान के तथ्य को छिपाया। डिटेल्स ऑफ फैमिली फार्म 3 (सी रुल 47) (12) में अपने परिवार के सदस्यों के विवरण में सिर्फ दो बच्चों की जानकारी भरी है।

अधिकारियों ने रोकी वेतनवृद्धि

आवेदक का कहना है कि यहां पर मामला तीसरी संतान का नहीं है बल्कि छलपूर्वक नौकरी पाने का है। इसलिए उसने जनजातीय कार्य विभाग सहित कलेक्टर सिवनी को इस संबंध में आवेदन किया। जिसके बाद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जितेंद्र गजभिए के इस जानकारी को छिपाने का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22(4) एवं 22 क तथा मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय अवचार माना गया है। अत: जितेंद्र गजभिए की तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है।

संतुष्ट नहीं है शिकायतकर्ता

विभाग के द्वारा तीन वेतन वृद्धि रोके जाने के फैसले से शिकायत कर्ता संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर सेवा प्राप्त करने वाले जितेंद्र के खिलाफ सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की जाए।

इनका कहना है

यहां पर मामला तीन संतान का नहीं है बल्कि जानकारी छिपा कर नौकरी पाने का है। ऐसे में जरूरी है कि गलत जानकारी देकर नौकरी पाने वाले जितेंद्र गजभिए के खिलाफ शासकीय सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की जाए। **- राजेंद्र हाथझाड़े, शिकायतकर्ता**

शिकायत मिलने के बाद विभाग के द्वारा जितेंद्र गजभिए की तीन वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। जो पूरे सेवा काल के लिए हैं। इससे अधिक कार्रवाई करना मेरे हाथ में नहीं है। यदि आवेदक चाहे तो वह शासन के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है।

लालजी राम मीणा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग

निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन से लाखों की सामग्री हुई चोरी

छपारा नवभारत। निर्माणाधीन में लाखों रुपए की सामग्री चोरी होने का मामला सामने आया है. जिसके बाद हड़कंप मच गया है मामला छपारा थाना अंतर्गत आने वाली भीमगढ़ पुलिस चौकी के बोरिया गांव स्थित विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है जिसकी दो करोड़ से अधिक की लागत से जिसका निर्माण कार्य जारी है वहीं पेटी कांट्रेक्टर देवेंद्र राजपूत के द्वारा वाहन भवन निर्माण वही अन्य निर्माण को लेकर ठेका लिया गया है 17 मई और 18 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों का अलमुनियम का तार और पावर हाउस में लगाए जाने वाला सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

अज्ञात चोरों ने इस बात का भी फायदा उठाया की विद्युत सब स्टेशन जिस जगह निर्माण हो रहा है वह आबादी क्षेत्र से अलग अलग है जहां लोगों का आना-जाना नहीं होता है जिस तरीके से भारी भरकम तार और सामग्री चोरी कर ले गए हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक चार पहिया वाहन का भी चोरी की वारदात में इस्तेमाल किया गया है और सारा माल चोरी का चार पहिया वाहन में आराम से भर कर ले गए हैं।

देवेंद्र राजपूत ने बताया कि जब उन्होंने सोमवार को आकर देखा तो गेट खुला हुआ था और भवन में सारा सामान बिखरा हुआ था और तार गायब थे इतना ही नहीं एक चार पहिया लोडिंग वाहन भी उनका वाहन खड़ा था जिसकी बैटरी सहित लगभग 5 लाख 50 हजार से अधिक का समान विद्युत सबस्टेशन से चोरी हुआ है। वही ठेकेदार इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर भीमगढ़ पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे हैं लेकिन पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है जबकि भीमगढ़ पुलिस चौकी के प्रभारी मुरलीधर पटेल ने घटनास्थल का जायजा सोमवार की शाम को ले चुके हैं.

एक नजर में

कल्चुरी(कलार)समाज के मेधावी बच्चे होंगे सम्मानित

सिवनी। हैहय कल्चुरी (कलार) समाज के ऐसे बच्चे जिन्होंने सिवनी जिले के स्कूलों से, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा में 75त्न से अधिक अंक प्राप्त किये हो ऐसे मेधावी बच्चों एवं उनके माता-पिता को फ्कल्चुरी प्रज्ञाफ्र सम्मान से सम्मानित किया जायेगा। कल्चुरी फाउंडेशन से श्री अरुण राय ने बताया कि गत सत्र में कु.प्रज्ञा जायसवाल सिंगरौली ने कक्षा 10 वी बोर्ड परीक्षा में 500 मे से 500 अंक प्राप्त पूरे प्रदेश में टाप किया था और कलार समाज को गोरवान्वित किया था उसी की सफलता से प्रेरित होकर सिवनी जिले में कल्चुरी फाउंडेशन द्वारा विगत वर्ष कलार समाज के मेधावी बच्चो को कल्चुरी प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया गया था। श्री राय ने आगे बताया है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कल्चुरी प्रज्ञा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमे सिवनी जिले के मेधावी बच्चो को विधायक एवं अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा। हैहय कल्चुरी(कलार) समाज के सामाजिक बंधुओ से अनुरोध कि 75त्न से अधिक अंक लेने वाले कलार समाज के बच्चो की अंकसूची की छायाप्रति जिसमें पता एवं मोबाइल नं. लिखा हो, नीचे दिए गये कल्चुरी फाउंडेशन के सदस्य साथी के व्हाट्सएप नं. पर भेजना सुनिश्चित कीजिए।

पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त, जनपदों में हड़कंप

सिवनी। जिले की पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी होने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई है। पंचायत राज संचालनालय पंचायत राज संचालनालय एवं जिला पंचायत सिवनी के निर्देशों के आधार पर जनपद पंचायतों को तत्काल प्रभाव से मोबिलाइजरों को सेवा मुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आरजीएसए (संशोधित) योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील थी। इसी योजना के अंतर्गत पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा मोबिलाइजरों की नियुक्ति की गई थी। अब योजना की अवधि समाप्त होने तथा नए स्वरूप पर नीति निर्धारण भारत सरकार स्तर पर लंबित होने के कारण इन सेवाओं को जारी रखना संभव नहीं बताया गया है। जनपद पंचायत कुरई द्वारा जारी पत्र क्रमांक 302/पेसा/ज.पं./2026 दिनांक 20 मई 2026 में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को निर्देशित किया गया है कि पंचायतों में कार्यरत पेसा मोबिलाइजरों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाए। साथ ही आदेश की तामील कर उसकी पावती एवं अधिस्वीकृति की प्रति तीन दिवस के भीतर जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत सिवनी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिले के पेसा विकासखंड कुरई, घंसौर, लखनादौन, छपारा एवं धनौरा की ग्राम पंचायतों में चयनित मोबिलाइजरों की सेवाएं अब निरंतर रखना संभव नहीं है। इसके चलते सैकड़ों युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सेवा समाप्ति के आदेश सामने आने के बाद पेसा मोबिलाइजरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई मोबिलाइजरों का कहना है कि उन्होंने गांवों में ग्राम सभाओं को सक्रिय करने, पेसा कानून की जानकारी पहुंचाने तथा ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अचानक सेवा समाप्ति से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शासन स्तर पर कहा गया है कि आरजीएसए योजना के नए स्वरूप एवं क्रियान्वयन को लेकर नीति निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में भविष्य में नई व्यवस्था लागू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल सभी मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी।

ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लगाए गए रेडियम, चालकों को दी समझाइश

सिवनी,। प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार राठौर के निर्देशानुसार परिवहन विभाग सिवनी द्वारा बुधवार को नागपुर रोड स्थित मरझोर रोड वेयरहाउस, गोपालगंज बायपास स्थित आभा एवं नंदन वेयरहाउस भोगाखेड़ा में खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रेडियम लगाए गए। इस दौरान ट्रैक्टर चालकों एवं वाहन स्वामियों को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन का संचालन सावधानी एवं सतर्कता के साथ करने की समझाइश दी गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा एवं रात्रिकालीन दुर्घटनाओं की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए वाहनों पर रेडियम लगाए जा रहे हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों को वाहन आसानी से दिखाई दे सके।

छपारा नगर केमिस्ट संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

छपारा नवभारत। ऑनलाइन दवा बिक्री और छोटे दवा व्यापारियों के संरक्षण की मांग को लेकर बुधवार को छपारा नगर के केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान नगर की अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं, बाद में केमिस्ट संघ के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से बिना वैध चिकित्सीय परामर्श और फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवाओं की बिक्री लगातार बढ़ रही है, जिससे जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। साथ ही अत्यधिक छूट (डीप डिस्काउंटिंग) और अनियंत्रित होम डिलीवरी के कारण छोटे लाइसेंसधारी केमिस्टों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। केमिस्ट संघ ने कहा कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स तथा मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर सिवनी जिले के समस्त केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एवं नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद विभिन्न कंपनियां वर्षों से ऑनलाइन दवाओं का कारोबार कर रही हैं।

ज्ञापन में आगे कहा गया कि वर्ष 2018 की अधिसूचना त्स्क्र 817(श्व) तथा कोविड काल में जारी त्स्क्र220(श्व) को वापस लेने की मांग भी की गई। संघ का कहना है कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स कंपनियां अनियंत्रित तरीके से दवाओं की होम डिलीवरी कर रही हैं, जो कि गलत है। केमिस्ट संघ ने प्रशासन से अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने, बिना सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन के दवा बिक्री और होम डिलीवरी पर रोक लगाने तथा छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की .

रेलवे अंडर ब्रिज में चल रहा घटिया निर्माण कार्य

गुणवत्ता और लापरवाही पर उठ रहे सवाल

केवलारी नवभारत। ब्राडगेज निर्माण के दौरान केवलारी से मलारा की ओर जाने वाली स ?क जिससे केवलारी क्षेत्र के लगभग 20-25 गांवों और अनेक शासकीय विभागों सहित कन्याशाला की ओर आवागमन होता है जहां रेल लाइन के नीचे से अंडरपास ब्रिज का निर्माण रेलवे द्वारा किया गया था, जिसके बनने के बाद से ही ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले हर यात्री और स्कूली बच्चों की मुसीबत बढ़ गयी हैं वजह है वहां से निकले तीन ओर के रास्ते और ब्रिज के नीचे अथाह जलराशि का जमाव।

बिगत कुछ दिनों से उक्त अंडरपास ब्रिज के नीचे के हिस्से में पानी भरने से छतिग्रस्त हो चुकी स ?क का फिर से रेल्वे के इंजीनियरों की देखरेख में फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और निम्न स्तर के घटिया निर्माणकार्य के चलते लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।ठेकेदार के द्वारा उक्त सड़क का एक ओर आधी सडक में निर्माणकार्य पूर्ण कर एक तरफ की सडक खाली छोड दी गयी जिससे वहां जलनिकासी पूर्णत: बंद हो गयी है वहां कीचड़ और पानी हर समय भरा रहने की वजह से आवागमन मुस्किल हो गया वहीं रेल्वे के इंजीनियरों के सामने ही गुणवत्ता को ताक पर रख घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर आधी सड़क का निर्माण कर बाकी का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया जिससे अब वहां से गुजरने वाली जनता परेशान है।

पानी की तराई और ड्रेनेज सिस्टम रहा फेल

रेल्वे द्वारा आधी अधूरी बनी सड़क में पानी की तराई नहीं की जा रही है जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो रही है उड़ाने वाले समय में यह सड़क जर्जर हो सकती है। इतना ही नही वहां से निकाले गए ड्रेनेज सिस्टम को फिर से अनदेखा कर दिया गया और पानी की निकासी का उचित प्रबंध नही किया गया जिससे आने वाले समय मे फिर से जनता को जलभराव की परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

रेलवे के जिम्मेदार अफसरों से जनता से मांग की है कि जल निकासी का उचित प्रबंध कर कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले समय मे फिर से आम जनता को परेशानी से मुक्ति मिल सके।

गांव में दिन दहाड़े भालू की आमद, ग्रामीण दहशत के साये में...

उगली नवभारत। सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभा केवलारी मुख्यालय की उप तहसील उगली क्षेत्र चारों तरफ से घनघोर जंगलों से आच्छादित है, निकट जिले बालाघाट और मंडला के निकटवर्ती क्षेत्र जो विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के मध्य कारीडोर के अंतर्गत आता है, विगत कुछ दिनों से उगली से महज 10-12 कि. मी. की दूरी पर ग्राम पंचायत विभारी के अरंडिया ग्राम में दिन के के समय हिंषक वन्य प्राणी रीछ (भालू) को ग्रामीणों ने दोपहर के समय भागते हुए देखा गया, दहशत से भरे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है, लेकीन इस रेयर वन्य प्राणी ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया लेकीन ऐसा माना जाता है, कि भालू शेर से भी ज्यादा खतरनाक जानवर की श्रेणी में

आता है, डरे हुये ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक डे? महिने से लगातार यह भालू ग्राम विभारी और अरंडियां में देखा जा रहा है, विगत दिवस अरंडिया में दिन के समय भालू को भगाते हुए ग्रामीण नजर आये. इनका कहना है... सरपंच पति -ओम प्रकाश भारद्वाज -हमारे गांव में भालू के आने से सभी गांव वाले डरे हुए हैं, वन विभाग को सूचना दी गई है, फिलहाल कोई जनहानी और दुर्घटना नहीं घटी है. मुनीम साहू,ग्रामीण अरंडिया- पिछले एक डेढ़ महिने से लगातार भालू देखा जा रहा है, ऐसा लगता है, कुछ किसानों ने मक्का की फसल लगाये हैं, इस भालू ने शायद यहीं अपना निवास बना लिया है. वन परिक्षेत्र अधिकारी -शिवभान नागेश्वर, वन विकास निगम उगली जानकारी के अनुसार एक भालू जंगल से भटककर गांव में आ जाता हैं, ग्राम विभारी के मंदिर परिषर में मधु मक्खी के छाते हैं, और भालू का प्रिय भोजन मधू मक्खी का शहद है, शायद यही कारण हो सकता है, कि भालु का गांव में प्रवेश हो रहा है. अरंडिया ग्राम के आसपास जंगल क्षेत्र से लगा ऐरिया वन विकास निगम के अंतर्गत आता है, दो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के मध्य कारीडोर भी है, यहां जंगली जानवर हिंषक शेर, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, कोठरी, चीतल, शांभर, काले हिरण, शेही, पेंगुलीन, भालू जो रेयर एनिमल की श्रेणी में आता है, बंदर, मोर आदि विचरण करते आसानी से देखे जाते हैं, अभी वर्तमान में वन के अंदर प्राकृतिक पानी के जल श्रोत जो सूख चुके हैं, ये जंगली जानवर पानी के लिये भी रिहायशी ईलाकों गांव की ओर रुख करते नजर आते हैं, वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने की अपील करते रहते है, विशेष रुप से जगंल में वन संपदा जैसे अभी तेंदु पत्ता तुडाई का कार्य ग्रामीण अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिये करते हैं का कार्य चल रहा है, गत दिवस बरघाट क्षेत्र के अंतर्गत चमरवाही में एक व्यक्ति को जंगली जानवर के द्वारा मृत करने की घटना घटी, इस कारण वन विभाग समुह में जंगल जाने की सलाह देते हैं, एकल जंगल जाने की मनाही है, क्योंकि आये दिन हिंसक वन्य प्राणियों का मूवमेंट हो जाता है.

शांति वन रिसॉर्ट पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, रिसॉर्ट सील

सिवनी नवभारत। कुरई थाना क्षेत्र के ग्राम सुकतरा-बदलपार मार्ग स्थित शांति वन रिसॉर्ट पर मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया। यह कार्रवाई 17 मई को नाबालिग बालिका के साथ हुए अमानवीय कृत्य के मामले के बाद बढ़ते जनआक्रोश और ग्रामीणों की शिकायतों के मद्देनजर की गई।

बताया जा रहा है कि घटना के विरोध में सोमवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में रिसॉर्ट में संचालित संदिग्ध गतिविधियों की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। राजस्व विभाग एवं कुरई पुलिस की संयुक्त टीम ने रिसॉर्ट पहुंचकर जांच की। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण के दौरान परिसर से आपत्तिजनक सामग्री, अनैतिक गतिविधियों से जुड़े संकेत, कंडोम एवं बियर की खाली बोतलें मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद नियमानुसार रिसॉर्ट को सील करने की कार्रवाई की गई। कुरई तहसीलदार शनिपाल सिंह परतेती ने बताया कि राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सीलिंग की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस दौरान नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, थाना प्रभारी कृपाल साह तेकाम, हल्का पटवारी अवलेश डहरवाल, पटवारी दीपेंद्र मर्सकोले सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

लापरवाही | जो कभी काम पर गये नहीं उनके नाम भी मस्ट रोल में, सीएम हेल्प लाईन बनकर रह गई मजाक

खेत तालाब कागजों में, वर्षो पुराने तालाब भी बन गये नवीन!

धारनाकला नवभारत। मध्य प्रदेश शासन की खेत तालाब योजना अथवा बलराम तालाब योजना राज्य के किसानो के लिये एक महत्वपूर्ण कृषि जल संरक्षण पहल है जिसका उद्देश्य वर्षा जल का संचयन करना और सिचाई के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है इस योजना के तहत सरकार किसानो को खेत तालाब के निर्माण मे 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा यह योजना महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतो के द्वारा क्रियान्वित की जाती है ताकि सूखे की स्थिति मे भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके किन्तु बरघाट जनपद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धारनाकला यही योजना कागजो मे सिमटकर रह गई है तथा खेत तालाब के नाम पर लाखो रूपये के फर्जी भुगतान जो कभी मजदूर बनकर काम पर गये नही उनके नाम पर भुगतान और

जहा तालाब अथवा बलराम तालाब बने नही किन्तु लाखो के भुगतान वर्षो पुराने तालाब के नाम पर भुगतान ऐसे अनेको कारण फिर भी ग्राम पंचायत धारनाकला मे शासन की इस महत्वपूर्ण योजना मे बंदरबांट नोटो की खनक के बीच उपमंत्री का मूल्यांकन और हो गया खेत तालाब का भुगतान इसके बावजूद जनपद के आला अधिकारी शिकायत पर कार्यवाई तो दूर जांच करने तक की हिम्मत नही जुटा पा रहे है इससे यह भी साफ हो गया है की शिकायत सिर्फ अधिकारियो के लिये महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है और इसी कडी मे विभागीय अधिकारियो के लिये सी एम हेल्प लाइन भी झूठे बेबुनियाद निराकरण के बल पर शिकायत को फोर्थ क्लोज करने का माध्यम बनी हुई है और यही शिकायत अधिकारियो की मोटी कमाई का हिस्सा बनी हुई है एक तरफ जिला कलेक्टर सी एम हेल्प लाइन की शिकायतो के निराकरण की नसीहत विभागीय अधिकारियो को देते नजर आ रहे है किन्तु जमीनी हकीकत मे शिकायत का निराकरण बिना जांच और कार्यवाई के गलत निराकरण के तहत सम्पन्न हो रहा है जिसकी जानकारी तक शिकायत कर्ता को नही होती

181 को मजाक बना दिया जनपद बरघाट ने

उल्लेखनीय है की जनपद पंचायत बरघाट के अन्तर्गत अनेको शिकायत सी एम हेल्प लाईन मे दर्ज है किन्तु जनपद पंचायत बरघाट के आला अधिकारी कार्यालय मे बैठे बैठे शिकायत का निराकरण कर रहे है जबकि जमीनी हकीकत मे जनपद का कोई भी आला अधिकारी सी एम हेल्प लाइन से जुडी शिकायतो की जांच के लिये मौके पर नही पहूचा है और न ही शिकायत कर्ता से इनका आज तक सम्पर्क हो पाया बस कार्यालय मे बैठकर पंचायत सरपंच एवं सचिव से साठगांठ कर सैटिग को अंजाम दिया जा रहा है और अंतिम मे नोटो की चमक के आगे शिकायत को फोर्थ क्लोज कर दिया जाता है ऐसी स्थिति मे भ्रस्टाचार से जुडी शिकायते महज औपचारिकता बनकर रह गई है और यही स्थिति ग्राम पंचायत धारना कला से जुडी जहा अगस्त 2025 मे शिकायत होने के बाद भी न ही आज तक अधिकारी जांच मे पहूचे और न ही कार्यवाई की किन्तु कार्यालय मे बैठकर जरूर फॉलोअप डालते रहे यहा यह बताना भी लाजिमी है की खेत तालाब के नाम पर जो भुगतान हुऐ वे आज तक कभी काम पर नही गये किन्तु ग्राम के प्रतिष्ठित एवं संभागीय जरूर है फिर इनके नाम पर मजदूरी का भुगतान समझ से परे है।

फरार आरोपियों पर हाईकोर्ट सख्त : पुलिस को दबिश के निर्देश

सिवनी नवभारत। देवरीटीका लूटकांड में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने थाना धनौरा पुलिस को आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला प्रदीप कुमार दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस लगातार कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं।

मामले में रामकृष्ण डेहरिया, सुरेश डेहरिया और जयंत डेहरिया फरार बताए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी गांव में ही रह रहे हैं और खुलेआम घूमते देखे जा रहे हैं। कुछ गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होने का भी दावा किया गया है।इसी बीच मंगलवार को जयंत डेहरिया के गांव में खुलेआम घूमने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि उसकी गतिविधियां के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। इसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि फरार आरोपी अब भी क्षेत्र में सक्रिय रूप से घूम रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह बात प्रमाणित होती दिखाई दे रही है कि आरोपी खुलेआम गांव में मौजूद हैं।

07 अप्रैल 2026 की सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर इतने समय बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 06 मई को हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने फिर दावा किया कि आरोपी अब भी गांव में मौजूद हैं।

हाईकोर्ट ने थाना धनौरा पुलिस को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए स्थानों पर तत्काल दबिश देकर आरोपियों की तलाश की जाए और अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए। 08 अप्रैल 2026 को जयंत डेहरिया और अमान सिंह शिववेदी पर इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद 14 अप्रैल को अमान सिंह शिववेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया , जिनकी जमानत हाईकोर्ट से कई दिनों बाद हुई हालांकि जेल से छूटने के बाद अमन सिंह बौखलाहट में बहुत ज्यादा है और फरियादी पक्ष को दबाव में लाने का प्रयास कर रहा है अभी विवेचना अपूर्ण है ऐसे में अमान सिंह शिववेदी पर भी ठोस कार्रवाई हो सकती है जबकि बाकी आरोपी अब भी फरार हैं।

पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद आरोपी गिरफ्त से बाहर कैसे हैं। गांव में खुलेआम घूमने और सीसीटीवी में दिखने के दावों ने पुलिस कार्रवाई की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।माननीय उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई में सीसीटीवी पेश कर गांव में खुलेआम घूमने के साक्ष्य पेश किए जा सकते है.